न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र (विविध)संख्या–55/18 सन् 2018

आरसीएमएस संख्या 2018/00020

बउनवानी :– 1. छीतर पुत्र कानादास जाति बैरागी निवासी डूँगरी तहसील बौंली

2. दामोदर पुत्र कानदास जाति बैरागी निवासी डूँगरी तहसील बौंली

बनाम

1. उपजिला कलेक्टर बौंली तहसील बौंली
2. लेण्ड होल्डर तहसीलदार बौंली, जिला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. बाबत ख0न0 762/2 वाके ग्राम डूँगरी तहसील बौंली)

उपस्थितः 1. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील प्रार्थी

2. श्री विष्णु माथुर (नायब तहसीलदार) पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 14.11.2024

वकील प्रार्थी ने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रार्थी के पिता कानादास को वाके ग्राम डूँगरी तहसील बौंली मे आराजी ख0न0 762/2 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 17.7.1964 से आवंटित भूमि की किस्म सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 525/2001 निर्णय दिनांक 30.8.2001 की पालना में चरागाह से सिवायचक मे दर्ज करवायी जाने बाबत पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलब की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थीगण के पिता कानादास भूमिहीन होने से ग्राम डूँगरी तहसील बौंली में भूमि ख0न0 762/02 रकबा 10 बीघा 17.7.1964 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित की गयी थी जिसका कब्जा मौके पर पटवारी हल्का ने आवंटन के पश्चात प्रार्थीगण के पिता को भौतिक रूप से सम्भला दिया था तभी से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 12 दिनांक 30.5.1967 को प्रार्थीगण के पिता श्री कानादास के नाम स्वीकृत हो चुका था, तथा सम्वत् 2022–2030, 2031–2032 से 2033, 2039 से 2040 तक प्रार्थीगण के पिता के नाम खसरा परिवर्तनशील मे बहैसियत काश्त का अंकन है तथा सम्वत् 2041 से 2047 मे भी प्रार्थीगण द्वारा की गयी काश्त का स्पष्ट अंकन है जिससे प्रार्थीगण का कब्जा काश्त सिद्व होता है। ख0न0 762 का रकबा बहुत बडा है जिसमे तरमीम नही है जिसमे ख0न0 762/2 का कुल रकबा 325 बीघा 6 बिस्वा तथा ख0न0 762 का रकबा 506 बीघा 8 बिस्वा है उस समय 8 आवंटियों को भूमि आवंटित की थी जिसमे प्रार्थीगण के पिता श्री काना दास का आवंटन सूची के क्रमांक 1 पर दर्ज है मुताबिक आवंटन सूची के सर्वप्रथम आवंटित भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दर्ज नही हो सकी। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी छीतर द्वारा सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर के न्यायालय में एक वाद संख्या 525/2001 उनवानी छीतर बनाम दामोदर पेश किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 30.8.2001 को हो गया है जिसमे प्रार्थीगण के पिता का आवंटन सही माना गया है। तथा उक्त आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 12 वाके ग्राम डूँगरी दिनांक 30.5.1967 को कानादास के नाम स्वीकृत हो चुका है किन्तु उसका अमल जमाबन्दी में नही हुआ है जबकि उक्त नामा0 के आधार पर प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकार रखते है किन्तु उक्त भूमि रिकार्ड मे चरागाह दर्ज है इस कारण उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया। यह तर्क भी दिया कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.2.2018 मे 175 एवं 151 सीपीसी की कार्यवाही पृथक पृथक किये जाने के निर्देश दिये जाने पर यह प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:41 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(विविध प्रार्थना पत्र संख्या 55/2018 उनवानी छीतर वगै. बनाम उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौली)

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौंली से प्राप्त रिर्पोट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 525/01 उनवानी छीतर बनाम दामोदर वगै. मे पारित निर्णय दिनांक 30.8.2001 की पालना करवाने बाबत प्रस्तुत किया है क्योकि तहसील बौंली के ग्राम डूँगरी के ख0न0 762/2 किस्म गै0मु0 चरागाह भूमि मे से दिनांक 17.7.1964 को प्रार्थी के पिता कानादास पुत्र भूरादास के नाम 10 वीघा भूमि आवंटित होने पर गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 12 निर्णय दिनांक 30.5.1967 कानादास पुत्र भूरादास बाबाजी के नाम स्वीकार हुआ परन्तु रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026 तहरीर करते समय जिम्मन नम्बर 1 मे रकबा नही होने के कारण नामा0 संख्या 12 दिनांक 30.5.1967 गैर खातेदारी का कानादास पुत्र भूरादास बाबाजी के नाम अमल नही किया गया जिसका अंकन नामा0 संख्या 12 के कॉलम नम्बर 1 से 4 तक मे जिम्मन नम्बर 1 में रकबा नही होने के कारण अमल नही किया गया अंकित है। साबिक ख0न0 762 किस्म चरागाह से बने हाल चरागाह के ख0न0 1864 रकबा 1.34 है0 ख0न0 1865 रकबा 0.58 है0 ख0न0 1866 रकबा 0.51 है0 ख0न0 1867 रकबा 0.10 पर छीतर दामोदर पि. कानादास बैरागी का कब्जा है। यह तर्क भी दिया कि ख0न0 762/2 रकबा 416 बीघा भूमि किस्म चरागाह दर्ज है जो चरागाह के खाते में अंकित है। उक्त चरागाह भूमि मे से नामा0 संख्या 11 दिनांक 18.3.1967 के द्वारा 87 बीघा 10 बिस्वा भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित हो गयी थी। इस प्रकार ख0न0 762/2 रकबा 328 बीघा 10 बिस्वा की किस्म गै0मु0 चरागाह होने के कारण कानादास पुत्र भूरादास बाबाजी को आवंटित भूमि 10 बीघा का जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026 मे अमल नही किया गया है। सम्वत् 2041 से 2047 तक के खसरा परिवर्तनशील में ख0न0 762/2 गै0मु0 चरागाह में प्रार्थीगण के पिता कानादास के नाम से अतिक्रमण की रिपोर्ट धारा 91 के तहत दर्ज है। अतः प्रार्थी के पिता को आवंटित भूमि की किस्म चरागाह होने एवं जिम्मन नम्बर 1 मे रकबा नही होने के कारण आवंटित भूमि को आवंटी की खातेदारी मे अमल किया जाना सम्भव नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत वकील राजस्व द्वारा निवदेन किया गया।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ, कि तहसीलदार की रिपोर्ट मे यह स्पष्ट अंकित है कि ग्राम डूँगरी के ख0न0 762/2 किस्म गै0मु0 चरागाह भूमि होने के कारण आवंटन हेतु प्रतिबंधित है। जिन दूसरे व्यक्तियों को आवंटन किया गया था यहॅ उनका मामला विचारणीय नही है क्योकि प्रार्थीगण ने उन दूसरे व्यक्तियो का आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उन व्यक्तियो को ख0न0 762 व 762/1 की भूमि किस्म सिवाचयक होने के कारण आवंटित की गयी थी। प्रार्थीगण का यह कथन भी उचित नही है कि वह वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर होने के कारण उसको सबसे पहले खातेदारी दी जानी चाहिए थी क्योकि आवंटन कब्जा के आधार एवं भूमि की किस्म क्या थी, के आधार पर किया जाता है। वरीयता सूची में प्रथम स्थान होने के आधार पर आवंटन नही किया जाता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि चरागाह की भूमियो पर काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रोद्यभूत नही होने से भी आवंटी को खातेदारी नही दी जा सकती है। जहॉ तक उक्त भूमि की किस्म चरागाह से सिवायचक किये जाने का प्रश्न है तो उक्त अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। एवं तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि आवंटन आदेश दिनांक 17.7.1964 एवं सहायक कलेक्टर मु0 सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.8.2001 का अध्ययन करे व विधिवत न पाये जाने पर सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:41 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner